

The rate of interest for housing loans for Scheduled Castes/Scheduled Tribes upto and inclusive of Rs. 5,000/- is at 4 per cent per annum.

(III) Total loan per individual for housing from the bank should not exceed Rs. 3 lakhs.

(c) There is no bar on banks giving loans to public institutions for constructing houses for their employees.

Courts of Additional District and Session Judges at Chandigarh

1092. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government have considered the necessity of establishing more courts of Additional District and Session Judges at Chandigarh; and

(b) if so, by when a decision to this effect is likely to be taken and implemented?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND): (a) Yes, Sir.

(b) It is not possible to indicate.

सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग द्वारा रिलायन्स इंडस्ट्रीज को शुल्क की बकाया धनराशि को किस्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान किया जाना

1093. श्री राम जैठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग ने गत तीन वर्षों के दौरान रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को शुल्क की बकाया धनराशि, जो कि 31.28 करोड़ रुपये है, को किस्तों में जमा करने की अनुमति दी थी ;

(ख) क्या इस प्रकार की सुविधा प्रदान करना सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अनुसार है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या विभाग ने इस प्रकार की सुविधा किसी अन्य व्यापारिक संस्थान अथवा किसी अन्य संस्थान को दी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो केवल इसी संस्थान को ये सुविधा देने का क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

साधारण बीमा निगम द्वारा रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों की खरीद

1094. श्री राम जैठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1988 के वर्ष के दौरान साधारण बीमा निगम ने रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर खरीदे थे ;

(ख) यदि हां, तो शेयर कब खरीदे गये थे तथा इन शेयरों की संख्या एवं मूल्य क्या थे और इनको खरीदे जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इन शेयरों को खरीदते समय निगम को इस बात की जानकारी थी कि कंपनी शीघ्र ही शेयरों को सन्तुष्ट दर पर बेचने जा रही है जिनकी कीमत पुराने शेयरों के समान थी और कंपनी ने नये शेयर भी बेचे थे ; और

(घ) यदि हां, तो इस खरीद में साधारण बीमा निगम को कुल कितनी हानि उठानी पड़ी और क्या निगम ने इस कंपनी के शेयरों के खरीदने से पूर्व भी किसी अन्य कंपनी के शेयर